**संख्या- 64/2022/1225/छप्पन-2022-56-1099/177/2019**

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषयः- कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर वर्षा के पानी से जल भराव के निराकरण हेतु कल्वर्ट निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर वर्षा के पानी से जल भराव के निराकरण हेतु कल्वर्ट निर्माण के लिए नगर निगम कानपुर द्वारा गठित आगणन रू0 58,10,145/- (रूपए अट्ठावन लाख दस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति विषयक अपने पत्र संख्या-103/आर0सी0एस0-2022-के-1/2018 दिनांक 26 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर वर्षा के पानी से जल भराव के निराकरण हेतु कल्वर्ट निर्माण हेतु धनराशि रू0 58,10,145/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून , 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 58,10,145/- (रूपए अट्ठावन लाख दस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) आवंटित कर जिलाधिकारी, कानपुर नगर (चकेरी) के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा के लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत् निर्माण कार्य" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-79/दस-2022-23 दिनांक 23 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनके सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

**संख्या 64/2022/1225(1)/छप्पन-2022-56-1099/177/2019, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in